

निदेशक, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-23.09.2026 को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के साथ सैदपुर, पटना में निर्माणाधीन योजना की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक, युवा, खेल निदेशालय।
3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, क्रीड़ा, खेल निदेशालय।
4. श्री अरुण कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना।
5. श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना।

कार्यवाही

सर्वप्रथम निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त बैठक आरंभ की गयी।

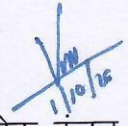
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सैदपुर में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल के लिए और उपकरणों की पूर्ति के लिए क्रय के लिए और राशि की आवश्यकता है।

इस पर निदेशक, खेल विभाग द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों से खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत बिहार राज्य में निर्माणाधीन योजनाओं के संबंध में निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम निम्नांकित प्रतिवेदन समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाय।

- 1) खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत आपको सौंपी गयी कुल योजनाओं का नाम।
- 2) आपके द्वारा राज्य में कुल कराये गये योजना/कार्य की सूची।
- 3) भारत सरकार से योजनावार कुल प्राप्त राशि।
- 4) योजनावार कुल प्रशासनिक स्वीकृति राशि।
- 5) योजनावार निविदा वैल्यु राशि।
- 6) योजनावार के लिए कुल एग्रीमेंट वैल्यु की राशि।
- 7) योजनावार कुल व्यय की राशि।
- 8) योजनावार कार्य पूर्णता की तिथि।
- 9) योजनावार कार्य पूर्ण करने की तिथि।
- 10) किन योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं किया हुआ है?
- 11) यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो क्यों?
- 12) विलंब से पूर्ण होने वाली योजनाओं की संख्या एवं नाम।
- 13) विलंब से पूर्ण होने वाली योजनाओं में काटे गये L.D. का विवरण एवं साक्ष्य।
- 14) यदि L.D. नहीं काटा गया तो क्यों?
- 15) सैदपुर में निर्माणाधीन योजना में कार्य बाधित होने का कारण क्या है?
- 16) सैदपुर में निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल के लिए कौन से उपकरण लगने बाकी हैं।
- 17) सारी 06 योजनाओं की एग्रीमेंट की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करायी जाय।
- 18) सभी योजनाओं की डी0एल0पी0/रख-रखाव अवधि क्या है? साक्ष्य के साथ उपलब्ध करायें।
- 19) पूर्ण योजनाओं का नाम एवं हस्तांतरण का विवरण।
- 20) क्या निर्मित योजनाओं का उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है? हाँ तो विवरण दें, नहीं तो क्यों?
- 21) योजना निर्धारित समय पर नहीं पूर्ण होने EOT से संबंधित साक्ष्य।

अगली बैठक दिनांक-25.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में की जायेगी।
उक्त बैठक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड उपरोक्त
प्रतिवेदन 21 बिन्दुओं पर साक्ष्य एवं फोटोग्राफ सहित लेकर उपस्थित होंगे।

सधन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(विवेक रंजन मैत्रेय)
निदेशक, खेल विभाग।

ज्ञापांक-.....189..... पटना, दिनांक-01/10/2026
प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास
निगम लिमिटेड, पटना/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/सचिव के आप्त सचिव, खेल
विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, बिहार राज्य शैक्षणिक
आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक के आप्त सचिव/सहायक
निदेशक, युवा/सहायक निदेशक, क्रीड़ा/आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विवेक रंजन मैत्रेय)
निदेशक, खेल विभाग।